भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5713
जिसका उत्तर शुक्रवार, 27 मार्च, 2026 को दिया जाना है

इटावा में नदी के कटाव से संबंधित लंबित मामले

5713. श्री जितेंद्र दोहरे :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना और चंबल नदियों के किनारे तेजी से हो रहे कटाव के कारण कृषि भूमि और आबादी वाले क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं, जिसके कारण भूमि और मुआवजे से संबंधित कई मामले न्यायालयों में लंबित हैं ;

(ख) यदि हां, तो इटावा जिले के अधीनस्थ न्यायालयों में भूमि अधिग्रहण, मुआवजा एवं कटान से संबंधित लंबित मामलों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या सरकार का ऐसे प्रभावित ज़िलों में त्वरित न्यायालय (फास्ट-ट्रैक कोर्ट) अथवा विशेष पीठ स्थापित करने का प्रस्ताव है, ताकि किसानों एवं प्रभावित परिवारों को शीघ्र न्याय मिल सके ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, भूमि राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है। भूमि सुधार उपायों और योजनाओं को संबंधित राज्य सरकार द्वारा उनकी आवश्यकताओं के अनुसार तैयार और कार्यान्वित किया जाता है। भूमि अधिग्रहण, मुआवजे और कटाव से संबंधित अधीनस्थ अदालतों में लंबित मामलों की संख्या का विवरण केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। तथापि, भारत सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकार के प्रयासों को पूरा करती है।

देश में त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट (एफटीसी) सहित अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना राज्य/संघ राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है जो अपनी आवश्यकता और संसाधनों के अनुसार, अपने संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से ऐसे न्यायालयों की स्थापना करते हैं। 14वें वित्त आयोग ने वर्ष 2015-2020 के दौरान 1800 फास्ट ट्रैक कोर्ट (एफटीसी) की स्थापना की सिफारिश की थी ताकि जघन्य प्रकृति के विशिष्ट मामलों, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, गंभीर बीमारियों से संक्रमित दिव्यांगजनों आदि से संबंधित दीवानी मामलों और 5 साल से अधिक समय से लंबित संपत्ति से संबंधित मामलों की त्वरित सुनवाई हो सके। वित्त आयोग ने राज्य सरकारों से कर हस्तांतरण के माध्यम से उपलब्ध बढ़ी हुई राजकोषीय गुंजाइश का इस उद्देश्य के लिए उपयोग करने का आग्रह किया था। केंद्र सरकार ने राज्य/संघ राज्य सरकारों से वित्तीय वर्ष 2015-16 से आगे एफटीसी की स्थापना के लिए निधि आवंटित करने का अनुरोध किया है। उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध सूचना के अनुसार, दिनांक 31.01.2026 तक देश भर में 862 एफटीसी क्रियाशील हैं। इन एफटीसी की स्थापना के लिए कोई केंद्रीय सहायता प्रदान नहीं की जा रही है।
